

Съдът във Варна съди на 22 юни 1923 г.

Digitized by srujanika@gmail.com

1997.073

19. *Leucosia* *leucostoma* *lutea* *luteola* *luteola* *luteola*

11

454

ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਰੀ ਹੈ।

卷之三

अपके अंतर्गत पर और इस गवाह के विवाह के दूसरे प्रमाणपत्रों की जांच/प्रमाणपत्रों की जांच से निर्दिष्ट तरीके से यह कोलंबिया इन्स्टीट्यूशनल एज्युकेशनल कॉर्पोरेशन को दिनांक 29-12-2022 के 10:00 बजे 29-12-2025 तक लोग दर्शी के अवधि के लिए वक्ता नहीं हैं तो 02 दिन अपेक्षित राजनीति कल्पना का प्रदान करने की चेतुक्या देता है।

दूसरे नवाचार का विवरण यह है कि वह अपनी जीवन के

- Principal
Columbus International School
Nagra, Rasra Road, Ballia (U.P.)

S. S. Singh
President
COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL
MANAGER

स्कूलिंग नवाचता का प्रदान करने की संकुलना है।—

 - मानवता को गजूत विस्तारणीय नहीं है और यह किसी की बात में बदला न कर सकता है तो यह करने के लिए जोई वाचता दिलाता है।
 - दिवालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को अर्थात् अधिनियम 2003 (उपकरण 1) द्वारा निशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमिती 2010 (उपकरण 2) के उपर्योग का पालन करेगा।
 - दिवालय कला एवं (या व्याख्याता नवीनी कला भी), उस बदला में बालकों की संख्या के 25 द्विदिवारी वर्ष आस-पलोस के कमज़ोर वर्षों और सुनियो-किट्टन समूह के बालकों को प्रदेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चांश पूर्ण ढंग में जाने का उपलब्ध करायेगा।
 - यहां जैन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अर्थात् वारा 12 वीं उपर्याम 2 के उपर्योग के अनुत्तर प्रतिपूर्ति दिया जायेगा। ऐसी प्रतिशूलितीयों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एवं पृथक् द्विक खाता रखेगा।
 - जांक्षण्डी/दिवालय किसी कंपिटेशन गुल्फ का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक के उत्तरांश-दिता या संत्यक को किसी रक्की-रक्किंग प्रक्रिया के अध्ययन नहीं करेगा।
 - दिवालय को लकड़ी आयु का सावृत न होने के कारण प्रदेश देने से इन्द्राजल नहीं करेगा और वह अर्थात् वारा 15 के उपर्योग का पालन करेगा। दिवालय निनालिंगित

प्रियत दर्शा।

प्रधान दिये गये किसी वालक को विद्यालय में उसका प्राप्ति करना चूल्हा बंदी लिया जाएगा, या उसे विद्यालय से निपासित घटी लिया जायेगा।

ii. किसी नींवालक को शारीरिक दण्ड या गतिसीमा उत्तीर्ण के अवधीन नहीं किया जायेगा।

iii. प्रत्यक्षिक रिक्ता पूर्ण होने तक किसी भी दालका से बगड़ या उत्तराश्वास उत्तराग करने का अनुदा की जानकी।

v. प्रायत्निक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक वालक को नियम-25 के अनीन अधिकारित द्वारा सरकारी पद प्राप्ति-पत्र प्रदान किया जायेगा।

अनुसार एक प्रश्नाण-पत्र प्रदान किया जाता है।
अंतिम क्षेत्र के अनुसार नियमिता प्रति/विशेष आवश्यकताओं पाले विद्यार्थियों को प्रदेश स्तरीय जाना है।

अधिकारी की नसी अधिनियम की तारा 23(1) के अधीन यथा आवश्यकताएँ चूनरेख अंडलाइ के साथ को दार्ता है तरनु यह और कि दियागा अधिकारी विनाम पास इस अधिनियम के प्रत्यन्ध पर लगातार अंडलाएँ नहीं हैं, पौय दर्ता की शर्तों के बीच ऐसी चूनरेख अंडलाएँ अर्जीत करेने।

अन्यत्र अंतिम भूमि की धारा 24(1) के अन्तर्गत लिंगोद्देश अपने जरूरतों का पालन करता है ।

५६. स्थायक रूप से विद्युती विद्यालय निम्नलिखित का उपर्युक्त नाम दें।
७. विद्यालय दमुखित प्राधिकारी का नाम अधिकारी विद्यालय के नाम से अलग होना चाहिए। अधिकारी विद्यालय के नाम विद्युती की नाम प्राप्ति का विवरण देना चाहिए।
 ८. विद्यालय अधिकारीय की भाषा जो ने अधिकारी का विद्यालय के नाम देना चाहिए। अधिकारी विद्यालय के नाम विद्युती की नाम प्राप्ति का विवरण देना चाहिए।
- सुल निश्चित होना।
- क्रीड़ा-स्थल का दोषकाल
- व्यायामों की राजिया
- इकाई-शह-कार्यालय-शह-प्रदानामार के लिए तका
- व्यायाम और शिक्षकों के लिए पृष्ठव् भौमालय
- ऐच्छिक शुल्किया
- गिड-डे-गिर एकाने के लिए राहों।
- बासारहित पहुँच
- ज्यादात्मक उड़न रामधी/क्रीड़ा घैसहूद उपलब्धी/पुलाललय की जागरूकता
९. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई ट्रॉ-भूमालय नहीं चलाई जाएंगी।
 १०. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग घैसल गिरा और कोई विद्यालय के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 ११. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-१८८०(१८८० या २१) के अंतर्गत ऐक्टिव व्यक्ति को सोसाइटी द्वारा तत्त्वमय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत किसी लोक चाल द्वारा चलाया जा सकता है।
 १२. स्कूल को किसी व्यष्टि व्यक्तिओं के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाल के लिए नहीं चलाया जा सकता है।
 १३. विद्यालय के लेखांगों की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपर्कों की जारी चार्टिए और उसके द्वारा प्रबोधित किया जाना चाहिए तथा सचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार दैवार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैकाक्ष शिक्षा अधिकारी को नेतृत्व चाहिए।
 १४. व्यायामके विद्यालय को आवेदित नान्यता कोड संख्या ४३ है। कृपया इसे नोट कर लें और इन कार्यालय के जाय किसी प्रदानामार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 १५. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है तो जो समय-समय पर विद्या निदेशक/विद्या वैकाक्ष शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और सम्बुद्धि सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदर्शकों का यालन करता है जो मान्यता सम्बन्धि शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
 १६. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई डॉ. को सुनिश्चित किया जाये।
 १७. संलग्न उपदेश के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 १८. किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो वी गदी नान्यता विना नोटिस के साथ करने का अविकार अवोहस्तासरी के पास सुरक्षित है।

मध्योदय

(उपेन्द्र वुमार)
जिला वैकाक्ष शिक्षा अधिकारी
संसदित

पृ० सं०: परिव/नान्यता/ / २०२२-२०२३ / वादपिनामित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित वो शूण्यनार्थ एवं आयशका वापीलाली देतु प्रेषित-

१. स्थायक शिक्षा निदेशक(व०), सापान गण्डाल आजगगड़।
२. संसदित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-बतिया

जिला वैकाक्ष शिक्षा अधिकारी
करिया।